

689

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक:प.6(14)राज-4/81/पार्ट/35

जयपुर, दिनांक: 16/11/16

अधिसूचना

राजस्थान भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954 (राजस्थान अधिनियम संख्या 16 सन् 1954) की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रामनारायण नागवा को 3 वर्ष के लिए राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है।

इनकी सेवा शर्तें पृथक से निर्धारित की जावेगी।

राज्यपाल के आदेश से,

(पी. एस. बिस्नोई)
संयुक्त शासन सचिव
16/11/16

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, मा0 राजस्व मंत्री महोदय।
4. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव महोदय।
5. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व।
7. श्री रामनारायण नागवा, अध्यक्ष, राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड, ग्राम नयाबास, नागवा फार्म हाउस, तह0 जमवारामगढ, जिला जयपुर।
8. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजपत्र के असधारण अंक दिनांक 16.11.2016 में प्रकाशनार्थ।
9. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
10. राजस्थान ग्रामदान/भूदान यज्ञ बोर्ड, जयपुर।
11. रक्षित पत्रवली।

संयुक्त शासन सचिव
16/11/16

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक : प. 11(1)मंमं/2015

जयपुर, दिनांक : 23.12.11


:: आज्ञा ::

श्री रामनारायण नागवा, अध्यक्ष, भूदान बोर्ड को राज्यमंत्री स्तर का दर्जा दिये जाने की राज्यपाल महोदय की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्री नागवा को राज्यमंत्री स्तर के रूप में इस सचिवालय की आज्ञा संख्या प. 11(1)मंमं/99 दिनांक 30.11.2012 द्वारा प्रदत्त सुविधायें देय होंगी।

श्री रामनारायण नागवा, अध्यक्ष, भूदान बोर्ड को प्रदत्त सुविधाओं पर होने वाला समस्त व्यय राजस्व विभाग (प्रशासनिक विभाग) द्वारा वहन किया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(पवन कुमार गोयल)
प्रमुख शासन सचिव


प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
2. सचिव, मुख्यमंत्री, प्रथम/द्वितीय राजस्थान।
3. अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
5. मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं प्रमुख शासन सचिव, निर्वाचन विभाग।
6. अध्यक्ष, भूदान बोर्ड।
7. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर।
9. समस्त विभागाध्यक्ष।
10. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रिगण/राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिवगण।
11. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
12. सचिवालय के समस्त विभाग एवं अनुभाग।
13. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को विशेषांक में प्रकाशनार्थ।
14. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
15. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
16. कन्ट्रोलर, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज, जयपुर।


सलाहकार

प्रतिलिपि निम्नांकित को अलग से प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
4. निबन्धक, राजस्व मण्डल/कर बोर्ड, अजमेर।


सलाहकार